भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3531 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/ 30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला युवा पेशेवर योजना

† 3531. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'सागरमाला युवा पेशेवर योजना' नामक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पहल के क्या उद्देश्य और लक्ष्य हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने पेशेवरों को नियुक्त किया जाएगा तथा पेशवरों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत पेशेवरों को कोई प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। हालाँकि, मंत्रालय ने परियोजना और इसके अन्य तकनीकी कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता के लिए युवा पेशेवरों को नियुक्त किया है। युवा पेशेवरों की नियुक्ति, मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुछ विशेष पात्रता मानदंडों/पेशेवर अनुभव के आधार पर की जाती है। युवा पेशेवरों को 60000/- रुपए प्रति माह का निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है और प्रारंभ में उन्हें 2 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए रखा जाता है।

*****